



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 ज्येष्ठ 1948 (श0)

(सं0 पटना 609) पटना, बृहस्पतिवार, 11 जून 2026

निगरानी विभाग

अधिसूचना

10 जून 2026

सं0 1/नि० वि० स्था०-43/2025/3923—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-17 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल ने विशेष निगरानी इकाई, पटना में पदस्थापित पुलिस निरीक्षकों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अनुसार दंडित किये जाने वाले अपराधों के मामले में दण्डाधिकारी की अनुमति के बिना भी अनुसंधान करने एवं वारंट के बिना गिरफ्तारी करने हेतु सक्षमता प्रदान करने की कृपा की है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
रामाशंकर,  
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 609-571+10-डी0टी0पी0

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>